प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT - ALMORA (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Sh Nitin Singh Bhadoriya., deputy commissioner, Almora on dated 27-07-18 at time 2:00 PM at .... in which application claiming rights in Jourashi range / area measuring **4.104** hect for the **Construction of Rathkhal-Khaliyu Motor Road (8.300 Km)** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Bhikeiasin** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; अल्मोड़ा
Dated: 27-7-2018

(JAGMOHAN SINGH)

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा।

Scanned by CamScanner

प्रारुप—30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector - Almora

No---

Dated-27-7-201

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.104 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Department Uttarakhand / Executive Engineer, PMGSY Division, P.W.D. Salt (Almora) (name of user agency) for **Construction of Ratkhal - Khaliyu Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in **Almora** district falls within jurisdiction of Puriachora . Seema Ristana And Boongidhar villages in Bhikyesain tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.104 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ....to...annexure....

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

(JAGMOHAN SINGH)

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

Scanned by CamScanner

प्रारुप—30.2

परियोजना का नाम :—जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रतखाल से खाल्यूँ (सीमा —रिष्टना) मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भिक्यासैण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड भिक्यासैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत 0.090 है0 आरक्षित वन भूमि ,4.014 है0 सिविल सोयम भूमि कुल 4.104 है0 वन भूमि का, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 सल्ट (अल्मोड़ा) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति तहसील भिक्यासैण को दिनांक 21.6.18 सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण '—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री गौरव चटवाल .... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :—

1. श्री गौरव चटवाल — उपजिलाधिकारी भिक्यासैण
2. श्री चन्दनसिंह गोस्वामी — उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत।
3. श्री गणेश सिंह — सहायक समाज कल्याण अधिकारी सल्ट।
4. श्री देवीदत्त शर्मा — बी0डी0सी0 क्षेत्र सदस्य।

(मुहर: उपजिलाधिकारी भिक्यासैण जिला-अल्मोड़ा; उपप्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा; सहायक समाज कल्याण अधिकारी सल्ट (अल्मोड़ा); देवीदत्त शर्मा सदस्य क्षेत्र पंचायत सीमा रिष्टना पो0—मानिला वि0 ख0 सल्ट (अल्मोड़ा))

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि जनपद अल्मोड़ा में पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत रतखाल से खाल्यूँ (सीमा रिष्टना) मोटर मार्ग परियोजना हेतु 4.104है0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया है। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियत 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड भिक्यासैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत रतखाल से खाल्यूँ (सीमा —रिष्टना) मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.104 है0 वन भूमि निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 सल्ट प्रयोक्ता एजेंन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी
भिक्यासैण।
(मुहर: उपजिलाधिकारी भिक्यासैण जिला-अल्मोड़ा)

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी
भिक्यासैण।
(मुहर: उपजिलाधिकारी भिक्यासैण जिला-अल्मोड़ा)

Scanned by CamScanner

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत राजस्व ग्रामों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 अन्तर्गत में आदिकालीन जनजाति समूह निवास नही करते है, और न भूमि प्रभावित हो रही है।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सल्ट (अल्मोड़ा)

खण्ड विकास अधिकारी
सल्ट (अल्मोड़ा)

अमीन

J.E.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
सल्ट (अल्मोड़ा)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
सल्ट (अल्मोड़ा)

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम :–जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रतखाल से खाल्यूँ (सीमा–रिस्टना) मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लम्बाई:– 8.300 किमी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – पुरियाचौरा।
तहसील भिक्यासैंण, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **जनपद अल्मोड़ा** के अन्तर्गत **रतखाल से खाल्यूँ (सीमा–रिस्टना मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु (0.090 है0 आरक्षित वन भूमि, 4.014 है0 सिविल सोयम भूमि,) अर्थात **कुल 4.104 है0** वन भूमि का **लो0नि0वि0 विभाग सल्ट (अल्मोड़ा)** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में **ग्राम पंचायत – पुरियाचौरा** द्वारा दिनांक 25/05/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में **लो0नि0वि0 विभाग सल्ट** (अल्मोड़ा) द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्रामवासियों को उक्त **वन भूमि 4.104 है0, लो0नि0वि0 विभाग सल्ट (अल्मोड़ा)** को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/ [signature]
ग्राम सचिव
मुहर सहित
ग्राम विकास अधिकारी
वि0ख0 सल्ट (अल्मोड़ा)

[signature]
प्रधान
ग्राम पंचायत/पुरिया चौड़ा
वि0ख0 सल्ट/(अल्मोड़ा)
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

Scanned by CamScanner

3

प्रारुप–30.4

दिनांक 25/5/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पचायत पुरियाचौरा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	सम्पूर्णदत्त प्रधान	[signature]
2.	भुवनचन्द	भुवनचन्द
3.	शेखरचन्द्र	शेखरचन्द
4	नन्दकिशोर	NCB
5	मनोजदत्त	Chamesh
6.	तारादत्त	Taradutt
7.	कैलाशचन्द	कैलाशचन्द
8.	दयाकृष्ण	दयाकृष्ण
9.	हन्सी देवी	हन्सी देवी
10	गंगागिरि	गंगागिरि
11	राधा देवी	राधा देवी
12	हीराबल्लभ	हीराबल्लभ
13	खीमानन्द	खीमानन्द
14	किशोरचन्द्र	किशोरचन्द
15	भगवती देवी	भगवती देवी
16	भवानी देवी	[thumb impression]
17	गोपालगिरि	गो[illegible]
18	शान्ति देवी	शान्ति देवी

[signature]
प्रधान
ग्राम पंचायत पुरिया चौड़ा
वि0 ख0 सल्ट (अल्मोड़ा)
ग्राम प्रधान

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम :–जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रतखाल से खाल्यूँ (सीमा–रिस्टना) मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लम्बाई:– 8.300 किमी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – सीमा–रिस्टना।

तहसील भिक्यासैंण, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **जनपद अल्मोड़ा** के अन्तर्गत **रतखाल से खाल्यूँ (सीमा–रिस्टना मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु (0.090 है0 आरक्षित वन भूमि, 4.014 है0 सिविल सोयम भूमि,) अर्थात **कुल 4.104 है0** वन भूमि का **लो0नि0वि0 विभाग सल्ट (अल्मोड़ा)** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में **ग्राम पंचायत –सीमा–रिस्टना** द्वारा दिनांक 25/5/18..को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में **लो0नि0वि0 विभाग सल्ट (अल्मोड़ा)** द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्रामवासियों को उक्त **वन भूमि 4.104 है0, लो0नि0वि0 विभाग सल्ट (अल्मोड़ा)** को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– [signature]
ग्राम सचिव / ग्राम पंचायत अधिकारी
मुहर सहित
वि0ख0 सल्ट (अल्मोड़ा)

ह0/– [signature]
प्रधान
ग्राम पंचायत सीमा रिस्टना
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

Scanned by CamScanner

प्रारुप–30.4

दिनांक 25/5/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सीमारिस्खना

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	दीपक रावत	Deepak
	योगेश चन्द्र	[illegible]
	चम्पा देवी	चम्पा देवी
	मालती देवी	मालती देवी
	रचना देवी	रचनी देवी
	दिनेश चन्द्र	दिनेश चन्द
7	मन मोहन सिंह बंगारी	[illegible]
8	देव सिंह	देवासिंह
	भगीरथ शर्मा	भगीरथ
	गोविन्द उपाध्याय	[illegible]
	[illegible] उमेश रावत	Rawat
	यशपाल रावत	Rawat
	पुष्पा देवी	पुष्पा देवी
	नारायण दत्त	नारायणदत्त
	प्रेम सिंह S/o उदे सिंह	प्रेमसीह
	प्रेम सिंह S/o चन्दन सिंह	
	मोहन चन्द्र	[illegible]
	गोपाल दत्त	मोहन चन्द्र
	रामलाल वर्मा	Gopal Datt
	विजय सिंह	रामलाल vijay
	लक्ष्मण सिंह प्रेमचन्द	[illegible]

बैजन्ती
लक्ष्मी
कमला
नन्दी।

[illegible]
ग्राम प्रधान सीमा रिस्खना
[illegible]

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम :—जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रतखाल से खाल्यूँ (सीमा—रिस्टना) मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लम्बाई:— 8.300 किमी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — बूँगीधार।

तहसील भिक्यासैंण, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **जनपद अल्मोड़ा** के अन्तर्गत **रतखाल से खाल्यूँ (सीमा—रिस्टना मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु (0.090 है0 आरक्षित वन भूमि, 4.014 है0 सिविल सोयम भूमि,) अर्थात **कुल 4.104 है0** वन भूमि का **लो0नि0वि0 विभाग सल्ट (अल्मोड़ा)** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में **ग्राम पंचायत —बूँगीधार** द्वारा दिनांक 25/5/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में **लो0नि0वि0** विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्रामवासियों को उक्त **वन भूमि 4.104 है0, लो0नि0वि0 विभाग सल्ट (अल्मोड़ा)** को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/—
ग्राम सचिव
मुहर सहित
(ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ... सल्ट, (अल्मोड़ा))

ह0/—
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

Scanned by CamScanner

प्रारुप–30.4

दिनांक 25/5/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बूंगीधार

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	हरिश्चन्द्र लखचौरा	[signature]
2.	पीताम्बरदत्त	पीताम्बरदत्त
3.	दुर्गासिंह	दुर्गासिंह
4.	प्रह्लादसिंह	प्रह्लादसिंह
5.	विजयसिंह	विजयसिंह
6.	विरेन्द्रसिंह	[signature]
7.	चन्दनसिंह [illegible]	Chun
8.	अमरसिंह	Amar
9.	सुजानसिंह	Sujan
10	पंकज	पंकज

प्रधान
ह0/–
ग्राम प्रधान बूंगीधार
वि0 ख0 सल्ट (अल्मोड़ा)

Scanned by CamScanner